तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **राहुल बनाम जयराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 233/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये

18.06.2024

पत्रावली आज पेश हुई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा डडुसण, पटवार हल्का–बावरला में प्रार्थी के बाप–दादाओं की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 1.75 है, खसरा संख्या 62 रकबा 0.08 हे, खसरा संख्या 84 रकबा 0.87 है, जूमले रकबा 2.70 हैक्टेयर आये हुए है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा आया हुआ है उक्त आराजी पर प्रार्थीया बाबूदेवी राहुल की तरफ से खेतीबाड़ी करती हुं। उनकी तरफ से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसी प्रकार सरहद मौजा कारोला में प्रार्थी के बाप–दादाओं की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 417 रकबा 3.55 है, खसरा संख्या 418 रकबा 0.68 है, खसरा संख्या 419 रकबा 1.97 हे, जूमले रकबा 6.00 हैक्टेयर में प्रार्थी के दादा गोरधन का 1/3 हिस्सा हिस्से में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा यानि संपूर्ण भूमि में 1/9 हिस्सा आया हुआ है बाबूदेवी प्रार्थी की माता की हैसियत से खेतीबाड़ी करती है तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त बदस्तूर है। प्रार्थी के दादा गोरधन वृद्व अवस्था के व्यक्ति है जिन्हें अप्रार्थी संख्या 2 बहला–फुसलाकर अपना नाजायज फायदा उठाने की हैसियत से उपरोक्त दोनों गांवों की आराजी विधि–विरूद्व जरिये बेचान अपने नाम करवा ली। मौजा डडुसण की भूमि रकबा 2.70 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा प्रार्थी का था व है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 जयराम के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 7 गोरधन ने जरिये बेचान दस्तावेज पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 192 में पृष्ठ संख्या 49 के क्रम संख्या 2006001485 पर अवैधानिक तरीके से उप पंजियक कार्यालय सांचौर में पंजीबद्व करवाया ऐसा दस्तावेज गैर कानूनी है गोरधन को 2.70 हैक्टेयर भूमि बेचान करने का हक नहीं था, अपने हक से ज्यादा भूमि बेचान की, जो विधि विरूद्व एवं गैर कानूनी है मौजा काछेला के खसरा संख्या 417, 418, 419 जूमले रकबा 6.00 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से में 1/3 हिस्सा प्रार्थी का था व है, बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 7 गोरधन ने अपने हक से अधिक भूमि का बेचाननामा जरिये पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 192, पृष्ठ संख्या 40 के क्रम संख्या 2006001484 उप पंजियक कार्यालय सांचौर में पंजीबद्व करवाया, जो गैरकानूनी है। उक्त अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी को बेचान करने के लिए तथा उक्त भूमि पर ऋण लेकर भूमि को निलाम करवाने के लिए तुले हुए है चुंकि उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का जन्मसिद्व अधिकार है उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का जरिये माता के पुश्तैनी कब्जा काश्त आया हुआ है पुश्तैनी संपति प्रार्थी को प्राप्त करने का कानुनी अधिकार है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा काश्त सहज व शांतिपूर्ण तथा निर्बाध रूप से चला आ रहा है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण तीसरे व्यक्ति को बेचान कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार तीनों मूलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मनगंठत एवं सारहीन होने से प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

मैनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन् व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डडुसण के खसरा संख्या 61 रकबा 1.75 है, खसरा संख्या 62 रकबा 0.08 हे, खसरा संख्या 84 रकबा 0.87 है, जूमले रकबा 2.70 हैक्टैयर एवं मौजा काछेला के खसरा संख्या 417 रकबा 3.55 है, खसरा संख्या 418 रकबा 0.68 है, खसरा संख्या 419 रकबा 1.97 है, जूमले रकबा 6.00 हैक्टैयर आराजी में अप्रार्थीगण बेचान, रहन, वसीयत, तर्क इत्यादि नहीं करें तथा अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 10:19:13 IST
Reason: SelfAttested